डीजी-परिपत्र संख्या-43 /2017

सुलखान सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः दिसम्बर 06, 2017

विषय : उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक जनपद स्तरीय चिकित्सालय से लेकर तहसील/ब्लाक स्तर तक कार्यरत हैं। उपचार के दौरान किसी मरीज के साथ जब कभी कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो मरीज कि परिजनों द्वारा चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों के साथ हिंसा एवं मारपीट की जाती है। वर्तमान में ऐसी घटनाओं में वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

2. प्रदेश में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को क्षति तथा चिकित्सा सेवा संस्थान की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने की घटना पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पार्श्वांकित परिपत्र समय-समय पर इस मुख्यालय से निर्गत किये गए हैं, जिनमें पूर्व से प्रख्यापित **"चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था" (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम-2013** की धारा-**3(क), 3(ख), 4 एवं 5(1)** में सजा, जुर्माना तथा सम्पत्ति की क्षति के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी प्राविधान दिये गये हैं।

डीजी परिपत्र सं0:33/2015 दिनांक 08.05.15
डीजी परिपत्र सं0:35/2015 दिनांक 16.05.15

3. मैं अपेक्षा करता हूँ कि उक्त अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए वर्तमान में चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों के विरूद्ध घटित होने वाली घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाया जाये तथा वैधानिक संरक्षण प्रदान करते हुए सुरक्षा का वातावरण बनाया जाये, ताकि चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी जनसामान्य को भय रहित होकर पूर्ण मनोयोग से अपनी सेवायें प्रदान कर सकें।

भवदीय
6/12/17
(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, **उत्तर प्रदेश।**

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
4.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।